प्रेस नोट 26/05/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों की साइबर पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 04 पीड़ितों की कुल 87680/- धनराशि वापस कराई गई ।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों से कुल 04 पीड़ितों की कुल धनराशि 87680/- रुपये वापस कराई गई। जिसमें क्रमशः थाना घोसी पुलिस द्वारा एक पीडित मनीशानन्द सिंह पुत्र अमला सिह निवासी लखनी मुबारकपुर को 55147/- रुपये व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा एक पीडित दिनेश चौहान पुत्र मरछू चौहान निवासी नगवां को 10003/- थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा एक पीडित हुसैन असांरी पुत्र जकी अहमद निवासी बुनकर कालोनी को 15000/- रुपये तथा रामपुर पुलिस द्वारा एक पीडिता ऊषा देवी पत्नी सियाराम चौहान निवासी धनेवा को 7530/- उनके खाते में वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 26.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 43 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 559 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

हत्या का प्रयास करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी तमंचा बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्वेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक थाना दोहरीघाट के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/26 धारा 3(5)/109(1)/352/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT में वाछिंत अभियुक्त शंकर चौहान पुत्र स्व0 लालबचन चौहान निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक 25.05.2026 को रात्रि करीब 11.20 बजे जमुनीपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया।

अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 105/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 74/26 धारा 3(5)/109(1)/352/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

नाम पता गिरफ्तारसुदा अभियुक्त

1. शंकर चौहान पुत्र स्व0 लालबचन चौहान निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

बरामदगी

1. अवैध नाजायज 315. अदद जिंदा कारतूस 02 वोर तमंचा एवं 315. अदद 01 बोर

दिनांक 17.05.2026 को थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत करमी ग्राम में हुई गोली-बारी घटना में मु0अ0स0 52/26 धारा 126(2), 131, 109, 3(5), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, तथा अभियुक्तों की गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, शेष वाछिंत अभियुक्त, 1. चन्दू यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी नीवी बुर्जुग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, 2. गौरव प्रताप यादव पुत्र सर्वेश यादव निवासी मुहम्मदल्ला भदुला थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के उपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा 25000-25000 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया, उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में स्वाट/एसओजी व अन्य टीमों का गठन किया गया है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्यवाही अमल में की जायेगी।